

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-03042021-226361
SG-DL-E-03042021-226361

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/ चैत्र 11, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 02
No. 120]	DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/ CHAITRA 11, 1943	[N. C. T. D. No. 02

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 26 मार्च, 2021

सं.फा. 16(576)/श.वि./डब्ल्यू/2016/619.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (एम) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी के दिनांक 25.09.2014 के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के पत्र सं० 3/24(22)/2015—आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 01 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या फा० 09/15/81—एलएसजी—2523 द्वारा अधिसूचित सुरक्षा अधिकारी के भर्ती विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में सुरक्षा अधिकारी के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ :- इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड सुरक्षा अधिकारी भर्ती विनियम, 2021 कहा जाये।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य योग्यताएं :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :- कोई भी व्यक्ति;

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है;

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** :- इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	सुरक्षा अधिकारी
2.	पदों की संख्या	:	04 (2021)* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "ख"
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35,400-112,400/-रुपये) (पूर्व संशोधन पे बैंड-2, 9300-34800 जमा ग्रेड पे 4200/-रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सशस्त्र बल कर्मियों को पुनः रोजगार द्वारा।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	पदोन्नति:- दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य सरकारी प्रशिक्षण संस्थान से अग्निशमन/आपदा प्रबंधन/सुरक्षा में दो सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले तथा ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 में (29,200-92,300/-रुपये) सहायक सुरक्षा अधिकारी। टीप:- (1)जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी

		अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। टीपः—(2) पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01जनवरी, 2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी। प्रतिनियुक्ति/सशस्त्र बल कार्मिक का पुनः रोजगार वे सशस्त्र बलकर्मी जिनके पास नायब सुबेदार की रैंक हो या सेवानिवृत्ति पर समकक्ष अथवा जिनका स्थानान्तरण आरक्षित एक वर्ष की अवधि में होना हो और जो मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो उस तारीख से सशस्त्र बल से निस्तार करने तक प्रतिनियुक्ति शर्तों पर ऐसे कार्मिक भी विचारणीय होंगे। उसके बाद वे पुनः रोजगार शर्तों पर जारी रह सकेंगे। (सिविल पद के संदर्भ के साथ सेवानिवृत्ति की आयु तक पुनः रोजगार)
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	पदोन्नति हेतु विचारार्थ “ख” वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति निम्न प्रकार होगी: 1. सदस्य (प्रशासन) – अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एंड पी) – सदस्य 3. निदेशक (राजस्व)– सदस्य श्रेणी ‘ख’ विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ) 1. सदस्य (प्रशासन) – अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एंड पी) – सदस्य 3. निदेशक (राजस्व)– सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	इन विनियमनों में किन्हीं प्रावधानों को संशोधित/शिथिल करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाये।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विकास गोयल, उप सचिव (जल)

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 26th March, 2021

F. No.16(576)/UD/W/2016/619.—The following recruitment regulations made by the Delhi Water Board in exercise of the powers of conferred by clause (m) sub-section (2) of section 109 read with sections 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated the 25th September 2014 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F.No.3/24(22)/2015-RR dated the 26th November 2015 and in supersession of the recruitment regulations of the Security Officer notified vide notification F.9/15/81-LSG-2523 dated the 01st April, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, regarding method of recruitment to the post of Security Officer in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely :—

1. **Short title and commencement:** - These regulations may be called the Delhi Jal Board Security Officer in Recruitment Regulation, 2021.
2. **Number of posts, classification and Level in the Pay matrix:** The number of posts, their classification and Level in the Pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications:** -The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualification:**— No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the service:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

5. **Power to relax :-** Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving :-** Nothing in these regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of The Post	Number of Post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non-Selection Post	Age Limit for Direct Recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Security Officer.	4 (2021) * Subject To Variation Depended On Workload.	Category B.	Level 6 (Rs 35400-112400) in the Pay Matrix. (Pre-Revised PB-2, Rs.9300-34800 plus Grade Pay Rs.4200/-)	Selection.	Not Applicable.

Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not Applicable	Not Applicable	Two Years	By Promotion/Deputation failing which by Re-Employment of armed forces personnel.

In case of recruitment by Promotion/ Deputation/ Absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a departmental promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Commission to be consulted in making Recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Security Officer in Level 5 (Rs 29200-92300) in the pay matrix with six years' regular service in the grade and have undergone two weeks' training in Fire Fighting/Disaster Management/ security from delhi fire service training institute or other government training institute. Note 1:- Where Juniors who have completed their Qualifying/ Eligibility Service are being considered for promotion, their Seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service , or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st january, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th cpc recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the	Category 'B' Departmental Promotion Committee for Considering Promotion Consisting of :- 1. Member (Admn.) - Chairman 2. Director (A&P) - Member 3. Director (Revenue) -Member. Category 'B' Departmental Confirmation Committee(For Considering Confirmation) :- 1. Member (Admn.) - Chairman 2. Director (A&P) - Member 3. Director (Revenue) -Member.	Union Public Service Commission shall be consulted while amending /relaxing any of the provisions of these regulations.

recommendations of the pay commission. Deputation/Re-Employment of armed forces personnel:— The armed forces personnel holding the rank of naib-subedar or equivalent due to retire or who are to be transefered to reserve within a period of one year and possessing the qualification of 12th pass from a recognized board/university shall also be considered such personnel would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces, thereafter they may be continued on re-employment terms. (re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts).		
---	--	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
VIKAS GOYAL, Dy. Secy. (Water)